प्रेसनोट, दिनांक 13.09.2025
थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

50-50 हजार रुपये के इनामिया दो शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार, लुटेरों के कब्जे से लूट के 07 लाख रुपये, सोने-चांदी के जेवरात (अनुमानित कीमत करीब 02 लाख रुपये), लूटी हुयी लाइसेंसी रिवाल्वर, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल व एक तमंचा मय 03 जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा 50-50 हजार रुपये के इनामिया दो शातिर लुटेरों को पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार किया गया तथा लुटेरों के कब्जे से लूट के 07 लाख रुपये, सोने-चांदी के जेवरात (अनुमानित कीमत करीब 02 लाख रुपये), लूटी हुयी लाइसेंसी रिवाल्वर, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल व एक तमंचा मय 03 जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 09.09.2025 को मुकदमा वादी श्री राकेश शुक्ला पुत्र स्व0 छुन्नू लाल शुक्ला निवासी ब्रम्हनगर बम-2 चौराहा थाना गंगाघाट जिला उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट पुलिस को सूचना दी गई कि तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के घर मे घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की घटना की गई है। इस सूचना पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 549/2025 धारा 309(6) बीएनएस तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.नन्हकऊ यादव उर्फ विरेन्द्र यादव पुत्र श्रीराम निवासी 16/697 जेल रोड वार्ड 14 मेंथा पुरे कप्तान का पुरवा रायबरेली, 2.दीपक पुत्र सहदेव निवासी रसूलपुर थाना बछरावां रायबरेली, 3.संत बहादुर उर्फ बडकऊ पंडा पुत्र विजय बहादुर निवासी टिकैतगंज थाना डलमऊ रायबरेली, 4.राजू पुत्र हफीज निवासी ग्राम गुट कुसहन थुलेण्डी थाना बछरांवा जनपद रायबरेली व 5.रामू पुत्र गुरूप्रसाद निवासी रसूलपुर थाना बछरांवा जनपद रायबरेली का नाम प्रकाश में आया था जिनमें से अभियुक्त रामू व राजू उपरोक्त को दिनांक 10.09.2025 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था।

दिनांक 12.09.2025 को समय करीब 20.50 बजे थाना गंगाघाट पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा थाना गंगाघाट क्षेत्रांतर्गत गगनीखेड़ा मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल नं0 UP33 AY 8299 सवार दो व्यक्तियों को रोका गया तो बाइक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाशों के पैर मे गोली लगी। दोनों अभियुक्तों की पहचान घटना में शामिल अन्य अभियुक्त 1. संतबहादुर उर्फ पंडा पुत्र विजय बहादुर उम्र करीब 45 वर्ष निवाली थाना डलमऊ

जनपद रायबरेली 2. बीरेंद्र उर्फ नन्कू यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी 16/397 जेल रोड मैंथा जनपद रायबरेली के रूप में की गयी तथा दोनों के द्वारा पूर्व में ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार दो साथियों के साथ दिनांक 09.09.2025 को थाना गंगाघाट क्षेत्रांतर्गत डाकतार कोलोनी में घर मे घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्तगण के कब्जे से लूट के 07 लाख रुपये, सोने-चांदी के जेवरात (अनुमानित कीमत करीब 02 लाख रुपये), लूटी हुयी लाइसेंसी रिवाल्वर, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल व एक तमंचा मय 03 जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद किये गये। दोनों घायल अभियुक्तों को जिला अस्पताल भेजा गया है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1.संतबहादुर उर्फ पंडा पुत्र विजय बहादुर उम्र करीब 45 वर्ष निवाली थाना डलमऊ जनपद रायबरेली

2. बीरेंद्र उर्फ नन्कू यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी 16/397 जेल रोड मैंथा जनपद रायबरेली

बरामदगी-

1.लूट के 07 लाख रुपये,

2. सोने-चांदी के जेवरात (अनुमानित कीमत करीब 02 लाख रुपये),

3. लूटी हुयी लाइसेंसी रिवाल्वर,

4. एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल

5. एक तमंचा मय 03 जिंदा व 02 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना गंगाघाट पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम